भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा एवं नीति निर्माण पर इसका प्रभाव

अमित प्रियदर्शी*, प्रो0 डी0आर0 यादव**

सारांश

भारत भूमि का विशाल क्षेत्रफल ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस विशाल ग्रामीण क्षेत्र में भारत की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है। ग्रामीण विकास के बिना भारत की उन्नति संभव नहीं है। चूंकि भारत की अधिकांश आबादी अभी भी गांवों में निवास करती है। अतः ग्रामीण विकास भारत में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है क्योंकि ग्रामीण भारत के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार और ग्रामीण समुदायों के समग्र विकास के उद्देश्य से नीतियां और कार्यक्रम बनाना सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य होना परमावश्यक है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के बिना भारत का विकसित श्रेणी के राष्ट्रों में शामिल होना संभव नहीं है। एक लोकतांत्रिक व लोक कल्याणकारी भारत का सपना भी तभी पूरा हो सकता है जब संपूर्ण भारत का सतत विकास हो। वर्तमान समय में ग्रामीण विकास की अवधारणा भारत को विकसित, लोकतांत्रिक व लोक कल्याणकारी देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ग्रामीण भारत के लोगों का विकास व उनके जीवन स्तर को उच्चस्तरीय बनाने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों, विभागों द्वारा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और भारत के ग्रामीण में बुनियादी ढांचे के विकास इत्यादि जैसे क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं व कार्यक्रमों का आरंभ किया। वर्तमान समय में भी ग्रामीण विकास की अवधारणा ने भारत की केंद्रीय सरकार के नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं पर यथा मनरेगा, प्रधानमंत्री स्वच्छ पेयजल योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, निशुल्क बोरिंग योजना, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना इत्यादि योजनाएं ग्रामीण विकास को केंद्र बिंदु में रखकर बनाई गई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ग्रामीण विकास भारत सरकार व विभिन्न प्रदेशों की राज्य सरकारों के नीति निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है।

शब्द संकेत : ग्रामीण विकास, विकेन्द्रीकरण, सतत विकास, हरित क्रांति, जैविक खेती, पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी प्रयोग, ड्रोन तकनीकी, पी0एम0जी0एस0वाई0, डिजिटल साक्षरता, डी0डी0यू0–जी0के0वाई0, मनरेगा।

प्रस्तावना

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत असंख्य गंभीर समस्याओं से घिरा हुआ था। भारत का ग्रामीण इलाका अशिक्षा, अंधविश्वास, गरीबी, भुखमरी, पिछड़ेपन जैसी समस्याओं से जूझ रहा था। सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत इस उद्देश्य से की गई कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों का समुचित विकास हो पाए। इस प्रकार 1952 में प्रथम बार 'ग्रामीण विकास की अवधारणा' को मजबूती मिली। इसके अंतर्गत भारत को अशिक्षा के अंधेरे से निकालने के लिए गांवों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र एवं प्राथमिक शिक्षा का ढांचा मजबूत किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाए गए। संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए जागरूकता व टीकाकरण अभियान व्यापक स्तर पर चलाए गए। कृषि व कृषकों की दशा सुधारने के लिए वैज्ञानिक कृषि व अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार ग्रामीण विकास को उत्तरोत्तर महत्व दिया गया। वर्तमान में पंचायतीराज मंत्रालय, कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जैसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। ये ग्रामीण विकास की अवधारणा भारत के नीति निर्माण में प्रभावशीलता एवं महत्व का द्योतक है। भविष्य में शक्तिशाली, शांतिमय, संपन्न भारत के सपने को पूरा करने के लिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता का शिक्षित, स्वस्थ और सम्पन्न होना बेहद आवश्यक है। वर्तमान की वैश्विकता को देखते हुए ग्रामीण विकास के बिना शक्तिशाली, शांतिमय एवं सम्पन्न भारत का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

विकास की अवधारणा

ग्रामीण विकास की अवधारणा पर प्रकाश डालने से पहले विकास की अवधारणा का संक्षिप्त विवरण विषय की सार्थकता और महत्व को अधिक स्पष्टता प्रदान करेगा। विकास एक व्यापक और बहुआयामी अवधारणा है जोकि विश्व, देश व किसी विशेष समुदाय के समग्र यथा आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सुधार की प्रक्रिया का द्योतक है। इसमें उद्योगों का विकास, प्रति व्यक्ति व राष्ट्रीय आय में वृद्धि, व्यापार प्रोत्साहन, आवागमन को द्रुत, सुखद व सुरक्षित बनाना, गरीबी में कमी, स्वास्थ्य सेवा में सुधार, शिक्षा व बुनियादी ढांचें में सुधार, रोजगार सृजन, सामाजिक सुधार इत्यादि जैसे क्षेत्रों या विषयों की विस्तृत श्रृंखला शामिल है। वर्तमान समय में ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते हुए खतरे को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण को भी

* शोधार्थी – राजनीति विज्ञान, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

** अध्यक्ष–राजनीति विज्ञान विभाग, गायत्री विद्यापीठ पी0जी0 कॉलेज, रिसिया, बहराइच।

इसमें शामिल कर लिया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विकास के आर्थिक व गैर–आर्थिक दोनों ही तरह के आयाम हो सकते हैं। विकास के आर्थिक व गैर–आर्थिक दोनों ही आयाम बेहद महत्वपूर्ण हैं। निःसंदेह विकास का अटूट संबंध व्यक्ति से भी है। अतः यह व्यक्ति की भावनात्मक, संज्ञानात्मक, शारीरिक क्षमताओं व स्वस्थ सुधार को भी विश्लेषित करता है।

हालांकि विकास एक चर है और इसे चंद शब्दों में बांधकर इसी व्यापकता को संकुचित नहीं करना चाहिए फिर भी विकास की कुछ सामान्य परिभाषाएं इसे और अधिक स्पष्टता प्रदान करेंगी : नोबेल पुरस्कार प्राप्त भारतीय अर्थशास्त्री प्रो. अमर्त्य सेन ने "विकास को 'स्वतंत्रता' माना है।"[1]

''1987 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित ब्रुंडलैंड कमीशन ने 'टिकाऊ विकास' या 'सतत विकास' की अवधारणा पेश की जिसके अनुसार यह 'भावी पीढ़ियों की उनकी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करता है।' प्रो. अमर्त्य सेन ने इसमें यह आगे जोड़ा है कि अंतर–पीढ़ी के साथ–साथ वर्तमान में अंतः पीढ़ी की जरूरतों को भी यह पूरा करें।''[2]

यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम (यूएनडीपी) के अनुसार ''विकास को गरीबी खत्म करना, लोकतांत्रिक शासन, कानून का शासन, और समावेशी संस्थानों का निर्माण करना है। सदा स्वस्थ परिवर्तन की वकालत करना और जीवन को बेहतर बनाने में लोगों की मदद करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों के लिए देशों को आपस में जोड़ने के उद्देश्य के रूप में करता है।''[3]

अतः स्पष्ट है कि वर्तमान समय में विकास की अवधारणा का स्थान सतत विकास की अवधारणा ने ले लिया है जोकि अधिक व्यापक और सार्थक प्रतीत होती है। जिसमें सैद्धांतिक रूप से विकास के गैर आर्थिक आयामों को भी पर्याप्त महत्व दिया गया है।

ग्रामीण विकास की अवधारणा

आजादी के पश्चात प्रारंभ के वर्षों में गांवों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। तत्कालीन नीति निर्माताओं ने देश के आर्थिक विकास पर जोर दिया। यह आशा व्यक्त की गई कि इस आर्थिक विकास का लाभ एक दिन सभी गांव वासियों तक पहुंचेगा और भारत में निर्धनता खत्म होगी। परंतु इसके परिणाम आशाजनक नहीं रहे। विशेषकर गांव इस विकास में अलग–थलग पड़े रहे। भारत में 2 अक्टूबर 1952 को 'सामुदायिक विकास कार्यक्रम' की शुरूआत के साथ ग्रामीण विकास की अवधारणा मजबूती के साथ उभकर सामने आयी।

सामान्यतः ग्रामीण विकास को कृषि विकास का पर्याय माना जाता है जोकि भ्रम उत्पन्न करता है और ग्रामीण विकास की अवधारणा को बेहद संकुचित कर देता है। ये सही है कि भारत की अधिकांश आबादी गांवों में निवास करती है और इनका जीवनयापन का प्रमुख स्रोत कृषि है। फिर भी कृषि विकास ग्रामीण विकास का पर्याय नहीं है। वी. के. आर. राव के शब्दों में, ''गैर–कृषि विकास एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक सेवाओं का विकास ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी की जटिल समस्याओं के समाधान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि विकास।''[4] वी. के. आर. राव के अनुसार,–''ग्रामीण विकास का तात्पर्य सामाजिक परिवर्तन के साथ–साथ आर्थिक बेहतरी से है।''[5]

वहीं गांधी जी की ग्रामीण विकास की अवधारणा में विकेंद्रीकृत औद्योगिक व्यवस्था व गांवों का स्वावलंबन निहित है। ''महात्मा गांधी का ग्रामीण विकास से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन एवं असहाय लोगों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाकर ग्राम को एक स्वावलंबी गणतंत्र बनाना है अर्थात् ग्रामों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के साथ–साथ उनकी रूढ़ीवादिता, पक्षपात तथा संकीर्ण विचारधारा को समाप्त करके उन्हें स्वावलंबी बनाना है।''[6]

विद्वजनों द्वारा दी गई ग्रामीण विकास की परिभाषाओं से स्पष्ट है कि ग्रामीण विकास का अर्थ सामान्यतया ग्रामीण भारत में निवास करने वाले नागरिकों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार व उनके आर्थिक रूप से स्वावलंबी दशा में उठाए जाने वाले कदमों से है। इसके साथ ही साक्षरता, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, सामाजिक कुरीतियों के प्रति जागरूकता, कृषि क्षेत्र के अलावा अन्य माध्यमों से रोजगार सृजन, डिजिटल साक्षरता, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता इत्यादि विषय भी शामिल हैं। ग्रामीण विकास का प्रमुख लक्ष्य निर्धनता खत्म करने के प्रयासों के साथ–साथ सामुदायिक अवसंरचना सुविधाएं यथा शुद्ध पानी, विद्युत, मार्ग और संचार के साधन, स्वास्थ्य, घर और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं सुलभ कराना सम्मिलित है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा नेपथ्य से निकलकर उत्तरोत्तर महत्वपूर्ण, सार्थक व व्यापक होती जा रही है। अब केवल कृषि विकास ही ग्रामीण विकास का पर्याय नहीं रह गया है वरन इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार सृजन, सुरक्षित व सुगम आवागमन, डिजिटल गांव, पर्यावरण संरक्षण व सामाजिक जीवन में व्याप्त कुरीतियों के प्रति जागरूकता, लैंगिक समानता इत्यादि विषय भी शामिल हो गए हैं। वर्तमान में ग्रामीण विकास की अवधारणा भारत के समग्र विकास व नीति निर्माण के लिए बेहद अहम होती जा रही है।

भारत के नीति निर्माण में ग्रामीण विकास की अवधारणा का प्रभाव

ग्रामीण भारत के विकास के बिना विकसित भारत का सपना कभी धरातल पर नहीं उतर सकता है। भारत को विकसित व शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए ग्रामीण भारत का विकास अति आवश्यक है। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरूआत हुई। जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के बाद इस कार्यक्रम को अधिक प्रभावी नहीं पाया गया तो आगे चलकर बलवंत राय मेहता समिति 1957 की अनुशंसाओं पर 73वें संविधान संशोधन द्वारा तीन स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था 1992 के रूप में स्थानीय शासन लाया गया ताकि ग्रामीण विकास को गति प्रदान की जा सके। पंचायतीराज व्यवस्था का लागू होना गांवों के लोगों के विकास में मील का पत्थर साबित हुआ है। इससे ग्रामीण विकास के साथ–साथ ग्रामीण भारत में राजनीतिक जागरुकता का भी प्रसार हुआ। ग्रामीण विकास की अवधारणा ने भारत में शासन की विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली को बढ़ावा दिया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, 73वें व 74वें संविधान संशोधनों 1992 द्वारा क्रमशः ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तीन स्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था और शहरों के लिए नगरीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। इस प्रकार भारत में संघ, राज्य व गाँव–शहर तीनों स्तर पर शासन व्यवस्था विद्यमान है। तीन स्तरीय शासन व्यवस्था से विकास की गति में तेजी आई है और विकास का लाभ भारत के सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले नागरिकों को भी मिल रहा है। अतः विकेंद्रीकरण भारत को ग्रामीण विकास की अवधारणा की अनूठी देन है।

भारत की विभिन्न केन्द्रीय सरकारों द्वारा गांव के लोगों को खुद के विकास की ओर ले जाने के लिए प्रोत्साहन हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं और हाल के वर्षों में ज्यादा बजट संसाधनों के आवंटित होने व उसे उचित रूप में विभिन्न क्षेत्रों में मात्रात्मक वितरण के लिए समय–समय पर निश्चित करके ग्रामीण भारत के बहु–आयामी विकास की गति को तीव्र किया गया है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, स्वावलंबन, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का निर्माण, सस्ते या वित्त रहित घर, ग्रामीणों को कम दरों पर ऋण की उपलब्धता, सामाजिक सुरक्षा, किफायती कीमत पर गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि पहुंचाने के लक्ष्य से विभिन्न प्रोग्राम व योजनाएं शुरू की गई हैं।

ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने समय–समय पर केन्द्रीय स्तर पर विभिन्न मंत्रालयों व विभागों यथा ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायतीराज राज मंत्रालय, मत्स्य पालन विभाग, डेयरी एवं पशुपालन विभाग, कृषि शोध एवं शिक्षण विभाग, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प विभाग इत्यादि की स्थापना की और विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। वर्तमान में इन योजनाओं में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), जल जीवन मिशन (जेजेएम), प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए), स्वच्छ भारत मिशन– ग्रामीण (एसबीएम–जी) इत्यादि प्रमुख हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय का बढ़ता हुआ बजट (तालिका 1) ग्रामीण विकास की अवधारणा के बढ़ते हुए महत्व को रेखांकित करता है।

तालिका 1 : विभिन्न वित्त वर्षों में ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट

क्र0सं0	वित्त वर्ष	ग्रामीण विकास मंत्रालय को आवंटित बजट (करोड़ में)
1	2005-06	27,487.47
2	2006-07	30,981.94
3	2007-08	37,655.94
4	2008-09	67,138.32
5	2009-10	67,812.63
6	2010-11	85,249.69
7	2011-12	66,666.07
8	2012-13	76,376.00
9	2013-14	80,194.00
10	2014-15	83,793.00
11	2015-16	73,269.77
12	2016-17	87,700.00
13	2017-18	1,07,758.24
14	2018-19	1,14,915.32
15	2019-20	1,19,874.43
16	2020-21	1,22,398.43
17	2021-22	1,33,689.50
18	2022-23	1,38,203.63

स्रोतः https://rural-nic-in/en/finance/budget/budget पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार (जनवरी 2023)

ग्रामीण विकास की अवधारणा ने भारत सरकार की कृषि नीति में बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृषि क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा लागू की गई प्रमुख नीतियों में से एक हरित क्रांति 1967–68 है। हरित क्रांति का तात्कालिक उद्देश्य अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों का विकास, आधुनिक खेती के तरीकों में वृद्धि, उर्वरकों का प्रयोग व सिंचाई के साधनों में वृद्धि और दीर्घकालिक उद्देश्य ग्रामीण विकास था। इसने भारत को बदलकर रख दिया। इसके बाद भारत विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों के क्षेत्र में आयातक से निर्यातक बन गया। खाद्यान उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने में हरित क्रांति का बहुत अहम योगदान रहा। इसने भारत के विकास के नए द्वारा खोल दिए। इस क्रांति ने कृषकों के जीवनस्तर में सुधार में अहम भूमिका निभाई। वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण स्थान है। कोविड महामारी के बाद कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। ग्रामीण भारत में लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन कृषि व इससे संबंधित गतिविधियाँ ही हैं। सरकार की कृषि विविधीकरण नीति से कृषि विकास को मजबूती मिल रही है व कृषकों की आय में वृद्धि हो रही है। बागवानी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, पशुपालन इत्यादि में रोजगार व ग्रामीण विकास की व्यापक संभावनाओं को देखते हुए भारत सरकार ने इनपर विशेष ध्यान दिया है। वित्त वर्ष 2021–22 के मुकाबले ''कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के लिए बजट प्रावधान में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि करके इसे वित्त वर्ष 2022–23 के लिए 1,32,513 करोड़ रुपए कर दिया गया है।''[7] इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति योजना, प्रधानमंत्री किसान योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि योजनाओं का संचालन किया जा रहा है।

किसानों की आय में वृद्धि हेतु सरकार ने मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरीपालन मंत्रालय का बजट भी बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2022–23 में इसका बजट 6,407.31 करोड़ रुपए है। जिससे डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन आदि के विकास की विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। खेती के जोखिम को कम करने के आशय से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र पर भी सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण नीति घोषित की है। किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाना सुनिश्चित करने के लिए अलग– अलग ऋतुओं में उगने वाली 22 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित किया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 जोकि नाबार्ड (एनबीएआरडी) द्वारा वित्त पोषित है, के तहत किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। जिससे वे कम ब्याज दर पर लघु अवधि के लिए कर्ज ले सकते हैं। वित्तीय समावेशन के द्वारा गांवों के विकास में सहायक है। इससे गांवों में रहने वाले लोगों के परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिली है। ऋण, बैंकिंग सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार, आसान किस्तों में बीमा आदि आर्थिक सुविधाएं सुलभ होने से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक प्रक्रिया में तेजी आई है।

हरित क्रांति ने कृषि क्षेत्र में तकनीकी के इस्तेमाल के जो रास्ते खोले थे। उन्हीं पर आगे बढ़ते हुए सरकार कृषि में नवीन तकनीकी का प्रयोग कर कृषि को हाइ–टेक क्रांति की ओर ले जाने के लिए प्रयासरत है। सरकार ने ड्रोन तकनीकी का प्रयोग कृषि क्षेत्र में भी करने की योजना बनाई है। इसके प्रयोग से जमीनों का रखरखाव, जमीनों का डिजिटल रिकार्ड, कीटनाशकों का छिड़काव आदि कार्य किए जाएंगे। इससे कृषि लागत में कमी आएगी। ड्रोन निगरानी से फसलों के रखरखाव से फसलों की सेहत की निगरानी बहुत आसान हो जाएगी और फसल उपचार, उसकी सिंचाई, उर्वरक आदि का तुरंत समाधान कर फसल उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। ड्रोन तकनीकी का एक लाभ ये भी है कि इससे प्राकृतिक आपदाओं में हुए फसलों के नुकसान का सही आंकलन कम समय में ही संभव है। इससे फसल बीमा में दावों का निस्तारण कम समय में सही ढंग से करने में बहुत मदद मिलेगी। ''सरकार द्वारा 'डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म' से कृषि सहित विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं और ड्रोन चलाने की आनलाइन अनुमति के लिए 'सिंगल विंडो व्यवस्था' उपलब्ध कराई जाती है।''[8] इसके साथ ही सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल में डिजिटल व हाईटेक सेवाओं को उपलब्ध करा रही है। इसके अलावा कृषि आधारित स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

ग्रामीण विकास के तहत ही भारत सरकार, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रही है। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से सरकार ने कृषि क्षेत्र में रसायनों के प्रयोग को कम करने की योजना पर भी काम किया है और सीमित रूप में सरकार प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। ''सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की विशेष योजना चला रही है जिसका नाम 'भारतीय कृषि पद्धति कार्यक्रम' (बीकेपी) है। इस योजना में क्लस्टर (समूह) बनाने, क्षमता निर्माण करने और प्रशिक्षित कार्मिकों से 3 वर्ष तक लगातार देखरेख की सुविधा के लिए 122000 प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।''[9] वर्तमान में सरकार द्वारा इसके तहत फिलहाल ''शुरू में गंगा नदी के पास 5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में मौजूद जमीन पर प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। परंपरागत कृषि विकास योजना के जरिए प्राकृतिक खेती समेत खेती के पारंपरिक व देसी तौर–तरीकों को बढ़ावा दिया गया है। फिलहाल प्राकृतिक खेती के दायरे में 4.09 लाख हेक्टेयर जमीन को शामिल किया

गया है।''[10] जहाँ एक ओर प्राकृतिक खेती पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक है। वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक खेती ग्रामीण विकास में भी सहायक सिद्ध हो सकती है। प्राकृतिक खेती से संबंध कई कृषि आधारित स्टार्टअप्स शुरू किए जा सकते हैं। सरकार का इस ओर भी पूरा ध्यान है।

ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं को सशक्त व स्वावलंबी बनाने का प्रयास भी भारत सरकार कर रही है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई–एनआरएलएम) की शुरूआत की है। इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवारों की आजीविका को बढ़ावा देकर निर्धनता को खत्म करना है। एनआरएलएम के अंतर्गत ही महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी), स्टार्टअप् ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) व आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (एजीईवाई) का भी संचालन किया जा रहा है। डीएवाई–एनआरएलएम के माध्यम से महिलाओं को समस्त भारत में स्वयं सहायता समूहों व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत संगठनों से आपस में जोड़ा जा रहा है। डीएवाई–एनआरएलएम की मदद से उन क्षेत्रों में जहां बैंकिंग सुविधाओं का अभाव है, वित्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायता मिली है। ''इसे डिजिटल वित्त को बढ़ावा देने और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को बिजनेस करेस्पोंडेंट सखी के रूप में तैनात करने के माध्यम से (बैंकों और सामान्य सेवा केंद्रों की सहायता से) सुगम बनाया जा रहा है। वर्तमान में, स्वयं सहायता समूह की 68000 से अधिक महिला सदस्यों को बीसी सखियों के रूप में पहचान की गई है और उन्हें प्रशिक्षित तथा तैनात किया गया है। पुलिस टॉप बिजनेस करेस्पोंडेंट सखियां जमा, ऋण, प्रेषण, पेंशन और छात्रवृत्ति के वितरण, मनरेगा मजदूरी और बीमा तथा पेंशन योजनाओं के तहत नामांकन सहित सभी वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। इन सखियों ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान दिसंबर 2021 तक 10,001 करोड़ रुपए के 215 लाख लेनदेन किए हैं।''[11] भारत में विभिन्न ग्रामीण समुदायों में, महिलाओं के साथ ही सीमांत व वंचित समूहों को भेदभाव का सामना करना पड़ता है और संसाधनों और अवसरों तक सीमित पहुंच होती है। इससे समाज का सर्वांगीण विकास बाधित होता है इसलिए महिलाओं के साथ ही साथ वंचित समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों को ध्यान में रखकर और उन्हें विकास कार्यक्रमों की योजना और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल करने के उद्देश्य से सरकार ने 'महिला शक्ति केंद्र' और 'प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना' जैसी विभिन्न योजनाएं लागू की हैं। जिनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। इसी तरह, सरकार ने हाशिए पर रहने वाले वंचित समूहों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उप योजना (एससीएसपी और एसटीएसपी) जैसी विभिन्न योजनाओं को भी लागू किया है।

ग्रामीण विकास के अंतर्गत ग्रामीण अवसंरचना का विकास बहुत आवश्यक है। बिना बुनियादी ढांचे के ग्रामीण विकास के समस्त प्रयासों के आशातीत परिणाम नहीं मिल सकते हैं। सरकार वर्तमान मंच ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम बनाने व इन्हें आपस में जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का संचालन कर रही है। ''इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2022–23 में पिछले साल के संशोधित अनुमान से 36 प्रतिशत राशि बढ़ाकर 19,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है।''[12] ''ग्रामीण भारत के लिए सबसे मददगार रही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत अबतक 7,82,844 किमी लंबी 1,82,506 ग्रामीण सड़कों और 9,456 पुलों को मंजूरी दी गई।''[13] सभी मौसमों में सुगम आवागमन से ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास में तेजी के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी गति मिलेगी।

भारत में ग्रामीण विकास के अंतर्गत डिजिटल और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया गया है। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच डिजिटल विभाजन महत्वपूर्ण है, और कई ग्रामीण समुदायों में डिजिटल तकनीकों और इंटरनेट तक पहुंच नहीं है। यह सूचना, सेवाओं और अवसरों तक उनकी पहुंच को बाधित कर सकता है और उनके लिए डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग लेना मुश्किल बना सकता है। इसलिए, ग्रामीण विकास नीतियों और कार्यक्रमों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, डिजिटल विभाजन को पाटना और ग्रामीण समुदायों के जीवन में सुधार करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार ने भारतनेट परियोजना जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। जिसका उद्देश्य देश की सभी ग्राम पंचायतों को हाई–स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसी तरह, सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जैसी विभिन्न योजनाओं को भी लागू किया है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। इसके अलावा, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता और कौशल बढ़ाने के लिए 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान' (पीएमजीदिशा) और 'राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन' (एनडीएलएम) जैसी विभिन्न योजनाओं को भी लागू किया है। इसके साथ ही भारत सरकार और निजी क्षेत्र भी किसानों और ग्रामीण उद्यमियों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे– ई–मार्केटप्लेस, डिजिटल वित्तीय सेवाओं और डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। इन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य किसानों और ग्रामीण उद्यमियों की आजीविका में सुधार करना और उन्हें

बाजारों, सूचना और सेवाओं तक अधिक पहुंच प्रदान करना है।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) 2005 और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) 2014 के द्वारा गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प मंत्रालय के तहत नदियों नहरों को जोड़कर स्वच्छ पेयजल व सिंचाई के लिए जल संसाधन का उचित इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू किया गया है।

भारत में ग्रामीण विकास के अंतर्गत कई ग्रामीण क्षेत्रों में, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए और कई ग्रामीण समुदायों में आर्थिक अवसरों तक पहुंच बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू किया है। ये योजनाएँ ग्रामीण उद्यमियों को वित्तीय सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करती हैं, जिससे उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और विकसित करने में मदद मिलती है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री ग्राम उद्योग योजना (पीएमजीयूवाई) और प्रधान मंत्री भारतीय जनऔषधि योजना (पीएमबीजेपी) जैसी विभिन्न योजनाओं को भी लागू किया है। इन योजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों को निजी क्षेत्र से वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना और ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों के लिए नए आर्थिक अवसर पैदा करना है। रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही भारत सरकार ने किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था व विधवा पेंशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005 आदि कल्याणकारी व रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजनाएं भी संचालित की हैं।

सरकार ने ग्रामीण विकास के उद्देश्य से ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएमजेएवाई) जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल और पौष्टिक भोजन तक पहुंच में सुधार करना है। ये योजनाएं ग्रामीण समुदायों को उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता और सेवाएं प्रदान करती हैं।

निष्कर्ष व सुझाव

भारत में ग्रामीण विकास की अवधारणा भारतीय नीति निर्माण में बेहद महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने ग्रामीण समुदायों के जीवन स्तर में सुधार और सतत व समग्र विकास के उद्देश्य से विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों को लागू किया है, जैसे कि सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं और वंचित व हाशिए के समूहों को सशक्त बनाना, डिजिटल और तकनीकी प्रगति को बढ़ावा देना, उद्यमशीलता और निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना, सुशासन और पारदर्शिता को बढ़ावा देना, पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को बढ़ावा देना, सार्वजनिक–निजी की साझेदारी के मॉडल से ग्रामीण विकास को गति देना, और स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ावा देना। इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण विकास की अवधारणा ने भारत सरकार के नीति निर्धारकों को ग्रामीण विकास के अंतर्गत नीति निर्माण करने के लिए प्रेरित किया। ग्रामीण विकास पर सरकार द्वारा बनाई गईं विभिन्न नीतियां इस प्रभाव को स्पष्ट करती हैं हालांकि ग्रामीण विकास में विविध प्रकार की चुनौतियाँ हैं जिन्हें दूर करने के लिए निवेश, निगरानी व मजबूत इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। ग्रामीण समुदाय द्वारा सामना की जाने वाली विशिष्ट आवश्यकताओं और चुनौतियों की पहचान व समाधान करने के लिए और अधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास के लिए एक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें ग्रामीण समुदायों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी शामिल है, ताकि गांवों में निवास करने वाली जनता पर ये नीतियां वास्तविक प्रभाव डाल सकें।

संदर्भ सूची

1. शर्मा, सुभाष, पर्यावरण और विकास, नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार (2017) पृष्ठ संख्या–11
2. शर्मा, सुभाष, पर्यावरण और विकास, नई दिल्ली : प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार (2017) पृष्ठ संख्या–11
3. UNDP's mandate is to end poverty, build democratic governance, rule of law, and inclusive institutions-We advocate for change, and connect countries to knowledge, eÛperience and resources to help people build a better life-https://www-undp-org/about&usDate26-01-2023

4. Das, Devendra K, Dynamics of Rural Development: Perspective and Challenges, New Delhi: Deep & Deep Publications (2007) pp16-17
5. Das, Devendra K, Dynamics of Rural Development: Perspective and Challenges, New Delhi: Deep & Deep Publications (2007) pp16-17
6. पंत, डी सी, भारत में ग्रामीण विकास, जयपुरः कालेज बुक डिपो (2002) पृष्ठ संख्या–13
7. सक्सेना, डॉ जगदीश, 'आधुनिक और लाभकारी कृषि', योजना, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग (2022) पृष्ठ संख्या–49
8. सक्सेना, डॉ जगदीश, 'आधुनिक और लाभकारी कृषि', योजना, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग (2022) पृष्ठ संख्या–51
9. सक्सेना, डॉ जगदीश, 'आधुनिक और लाभकारी कृषि', योजना, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग (2022) पृष्ठ संख्या–51–52
10. त्रीपाठी, डॉ के के, 'बेहतर और प्रतिस्पर्धी कृषि', कुरूक्षेत्र, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग (2022) पृष्ठ संख्या–14
11. सिंह, चरणजीत, 'ग्रामीण महिलाओं के लिए पहल', योजना, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग (2022) पृष्ठ संख्या–55
12. सिंह, अरविंद कुमार, 'ग्रामीण अवसंरचना विकास', कुरूक्षेत्र, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग (2022) पृष्ठ संख्या–32
13. सिंह, अरविंद कुमार, 'ग्रामीण अवसंरचना विकास', कुरूक्षेत्र, नई दिल्लीः प्रकाशन विभाग (2022) पृष्ठ संख्या–32